निविदा सूचना :–

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा टौन्स वन प्रभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें पंजीकृत डाक द्वारा **दिनांक 12.12.2023** को 5:00 बजे सायः तक उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। यह निविदाएं **दिनांक 13.12.2023** को अपराह्न 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा प्रभाग स्तरीय गठित निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र **दिनांक 29.11.2023** के पूर्वाह्न 10:00 बजे से **दिनांक 11.12.2023** के अपराह्न 12.00 बजे तक प्रभागीय कार्यालय अथवा रेंज कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। निविदा की विस्तृत शर्ते वन विभाग की बेवसाईट www.forest.uk.gov.in तथा उप वन संरक्षक, कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती हैं।

क्र0सं0	रेंज का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	संख्या	कार्यो हेतु अनुमोदित धनराशि (लाख में)	धरोहर की धनराशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य +GST (18%)	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	सिंगतूर	वन मोटर मार्गो एवं अश्व मार्गो का सुदृढीकरण योजना।	विकास खण्ड मोरी के नानई से पेतडी तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।	01	4.20	12600	500+GST	कार्यदेश जारी होने के 1 माह के अन्दर।
2			विकास खण्ड मोरी के पेतडी खेडमी तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।	01	3.00	9000	500+GST	
3			विकास खण्ड मोरी के जरमोला से जंगलात चौकी डोभालगांव तक पैदल मार्ग का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण कार्य।	01	5.00	15000	1000+GST	
4	सान्द्रा		विकास खण्ड मोरी के सान्द्रा से नैटवाड़ अश्व मार्ग तक 05 कि0मी0 पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।	01	5.00	15000	1000+GST	
5	पुरोला	आवासीय अनावासीय भवनों का सुदृढीकरण योजना।	प्रभागीय कार्यालय भवन में टाईल्स, रंगाई–पुताई व अन्य विविध कार्य।	01	6.02	18060	1000+GST	

—: टेण्डर की शर्ते :—

1. ठेकेदार को नियमानुसार आयकर, GST एवं अन्य कर व शुल्क देना होगा।
2. टेण्डर पंजीकृत डाक द्वारा ही मान्य होगें।
3. टेण्डर फार्म नगद भुगतान कर प्रभागीय कार्यालय अथवा रेंज कार्यालय में नियत तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. ठेकेदार का किसी निर्माणदायी संस्था/विभाग में पंजीकरण/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
5. प्राक्कलन की धनराशि वही मान्य होगी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं भुगतान इसी के आधार पर कार्य का मूल्यांकन के पश्चात किया जायेगा।
6. ठेकेदार को आंशिक भुगतान उसके द्वारा पूर्ण किये गये कार्य की मात्रा एवं उसके मूल्यांकन के अनुरूप किया जायेगा, जो बजट की उपलब्धता के अनुसार होगा। कार्य में त्रुटि होने पर आंशिक भुगतान रोका जा सकता है। साथ ही कार्यावधि के बीच–बीच में अनुश्रवण कार्य करने पर यदि कार्य की गुणवत्ता प्रगति संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
7. **जमानत की धनराशि प्राक्कलन की धनराशि का 10 प्रतिशत प्रभाग कार्यालय में अनुबन्ध के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।**
8. यदि किसी स्वीकृत निविदा को ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड दिया जायेगा, तो ऐसे कार्य को विभागीय रूप से पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी तथा इस कार्य का मूल्य ठेकेदार के भुगतान व जमानत से वसूला जायेगा।
9. कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण तथा कार्य करने हेतु जो मापदण्ड अपनाये जायेगें उसके अनुरूप कार्य करना होगा। अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके नामित अधिकारी/कर्मचारी के समय–समय पर दिये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य का संचालन किया जायेगा।
10. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण/गलत तरीके से भरी निविदा भी मान्य नहीं होगी।
11. जमानत की धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंकों की एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0 के रूप में उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पदनाम से बन्धक होनी अनिवार्य है।
12. कार्य की लागत से अधिक दर का टेण्डर मान्य नहीं होगा।
13. निविदा मोहरबन्द लिफाफा के बाहर कार्य का नाम अंकित करना आवश्यक है।
14. निविदाताओं को परामर्श दिया जाता है कि निविदा देने से पूर्व स्थल की स्थिति एवं कार्य आदि का भली–भॉती देख ले, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य आदि के बारे में लगायी गई कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
15. कार्य सन्तोषजनक होने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
16. विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. कार्य पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार देय नहीं होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकता है।
18. निविदा प्रपत्रों के साथ निविदादाता द्वारा पैन नम्बर, आधार नम्बर,जी0एस0टी0, 100 रु0 का स्टाम्प पेपर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
19. यदि उच्च स्तर से उक्त कार्य किसी अन्य कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा/कराये जाने हेतु आदेश प्राप्त होते है तो उक्त निविदा को निरस्त करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
20. उक्त कार्य हेतु उच्च स्तर से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति में स्वीकृत धनराशि ही कार्य की अन्तिम लागत मानी जायेगी तथा उसी आधार पर निविदादाता को कार्य करना होगा। इस हेतु कोई विवाद मान्य नहीं होगा।

टेण्डर के नियम :—

- टेण्डर के बाहर जिस कार्य के लिये टेण्डर दिया गया हो, उस कार्य का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग टेण्डर देना अनिवार्य है, एक ही टेण्डर में सब कार्यो का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा एक लिफाफे में एक ही टेण्डर संलग्न किया जायेगा।
- टेण्डर एस्टीमेट से कम अथवा विभागीय दर पर, जिस पर भी दिया जाना हो, उसे स्पष्ट लिखा होना चाहिए, कि टेण्डरदाता द्वारा कितने प्रतिशत कमी/विभागीय दर पर कार्य करने में तैयार है। टेण्डर स्वीकृत हो जाने के बाद कार्य के एस्टीमेट मे किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।
- टेण्डर के साथ बन्धक धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 में संलग्ल की जानी अनिवार्य है, जिस व्यक्ति का टेण्डर स्वीकृत होगा, उसका यह बन्धक धन जमानत में सम्मिलित किया जा सकता है। अन्य ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी बन्धक राशि नियमानुसार वापस की जा सकेगी। बन्धक धनराशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के बिना टेण्डर स्वीकार नहीं होगा।
- अधोहस्ताक्षरी अथवा सक्षम स्तर के अधिकारी सबसे कम अथवा किसी भी प्राप्त टेण्डर को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगें, तथा बिना कारण बताये किसी भी टेण्डर को अस्वीकार कर सकते हैं।
- न्यूनतम दर के टेण्डर स्वीकृत होते ही टेण्डर की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत के रूप मे रूपया एन0एस0सी0/एफ0डी0 अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी, जो प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पक्ष में निरूपित हो।
- कार्यो की निविदा सूचना में दी गयी कार्य पूर्ण करने की अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा।

- यदि उच्चाधिकारियों द्वारा प्राक्कलन किसी प्रकार संशोधित किया जाता है, तो वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा भुगतान तद्नुसार समानुपातिक रूप से किया जायेगा।
- कार्य का पूर्ण भुगतान उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात तथा कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त किया जायेगा। भुगतान वास्तविक कार्य/मात्रा के अनुपात में किया जायेगा।
- कार्य के दौरान यदि एस्टीमेट में वर्णित कार्य के अतिरिक्त चट्टान इत्यादि की कठिनाई आये, अथवा हालात बदल जाये तो इस सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- ठेकेदार अपने स्वीकृत कार्य को किसी दूसरे ठेकेदार को उप ठेके अथवा अन्य रूप में नहीं दे सकता है। ऐसे अवैधानिक उप ठेके, अथवा अन्य रूप से सौपे गये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेगें। निर्माण कार्य में जो मलवा आदि स्थल पर आयेगा, ठेकेदार को उसे साफ करना होगा।
- कार्य अवधि के अन्दर कार्य (अनुबन्ध पत्र/कार्यदेश में दी गयी अवधि के अन्तर्गत) समाप्त न होने पर प्राक्कलन मूल्य के 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
- औजार इत्यादि का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं करना होगा।
- **निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्य स्थल का भली–भांती निरीक्षण कर ले, बाद में किसी प्रकार की शिकायत मान्य नहीं होगी।**
- शासनादेश के अनुसार GST, आयकर रॉयल्टी आदि समस्त देय करों का भुगतान करना होगा जिसकी कटौती ठेकेदार के भुगतान से की जोयगी।
- यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
- अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली हेतु अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।
- आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उपकरणों, भारी जे0सी0बी0 मशीनों से कार्य कराना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा केवल श्रमिकों के द्वारा ही मैनवल रूप से कार्य करवाया जायेगा।
- समस्त शर्ते अनुबन्ध का एक भाग होगी, जो निविदादाता पर बाध्यकारी होगी।
- **किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का निर्णय अन्तिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।**
- वन एवं वन्यजीव सम्बन्धित समस्त अधिनियमों का पूर्ण अनुपालन करना होगा।
- किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(कुन्दन कुमार)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

E-Mail:- dfo_tons@yahoo.co.in, Tel:- 01373223328

G20

पंत्राक– 1788 /3-2 दिनांक,पुरोला, 28/11/ 2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, वन भवन, 85/87 राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला।
7. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, पुरोला।
8. जिला सूचनाधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(कुन्दन कुमार)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।